

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या - 124/2025 (प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांक - 24/11/2025

निर्णय दिनांक - 24/11/2025

अनवान

1. किशनलाल पुत्र मांगीलाल निवासी कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम कुंआथल पटवार मण्डल कुंआथल के खाता संख्या 158 में सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम किसनलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी किशनलाल पुत्र मांगीलाल शुद्धि कराए जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम कुंआथल के खाता संख्या 158 में किसनलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज है। अतः ग्राम कुंआथल के खाता संख्या 158 में किसनलाल पुत्र मांगीलाल के बजाय किशनलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज किया जाने की अनुशंसा की गई।

--:आदेश:-

अतः धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ग्राम कुंआथल के खाता संख्या 158 में किसनलाल पुत्र मांगीलाल के स्थान पर किशनलाल पुत्र मांगीलाल नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(मोहकमसिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द